Awarding of Riband Super Thermal Power Project

2011. SHRI MOSTAFA BIN QUA-SEM; Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Thermal Power Corporation has awarded the Rs. 1,200 crore Rihand Super Thermal Power Project to a British turnkey contractor against the advice of its own Consultant Adviser;

(b) if so, the details of the circumstances under which the said contract was awarded to the said British contractor; and

(c) the level at which the decision to award the contract to this contractor was taken?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): (a) to (c) The Rihand Super Thermal Power Project (STPP) of the National Thermal Power Corporation (NTPC) is being executed with U.K. assistance. The contract for supply and erection, in respect of the Project, was awarded to M|s. Northern Engineering Industries (NEI) of the U.K. in September, 1982 after negotiations between the U.K. authorities and a Committee constituted on the India side. The recommendations of this Committee were approved by the Board of Directors of the NTPC and the Government of India for award of contract to M|s. NEI.

दक्षिण-पूर्वी कोयला बेल्ट के लिए निदेशक मण्डल

2012. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्वी कोयला बेल्ट के लिए एक पृथक निदेशक-मण्डल की तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उपर्युक्त नियुक्तियां कब तक कर दिये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) दिनांक 28-11-1985 से कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक नई कम्पनी अर्थात् साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० निगमित की गण है ।

इस कंपनी के लिए निदेशक बोर्ड का गठन फरवरी, 1986 में किया गया है । अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी) कार्यरत है तथा कंपनी में निदेशक (कार्मिक), और निदेशक (वित्त) के पद भरने के लिए नियुक्त आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

चुनाव सुधारों के लिए सुझाव

2013. श्री अश्विनी कुमार :
श्री कैलाश पति मिश्र :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव प्रणाली में सुधार करने के लिए कुछ ऐसे सुझाव थे जिन पर सभी राजनीतिक दल और निर्वाचन आयोग सहमत थे;

(ख) यदि हां, तो ये सुझाव क्या हैं तथा ये कब आए थे; और

(ग) इन सुझावों पर कितना विचार किया गया है और इस संबंध में कितनी बातों पर विचार किया जाना शेष है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जी नहीं । निर्वाचन पद्धति में सुधार लाने के लिए सरकार के पास ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं, जिन पर सभी राजनैतिक दल और निर्वाचन आयोग सहमत हो